

सहारा सुगम - जीवन बीमा

UIN-127L023V01

(एक यूनिट-लिंक्ड योजना)

इस पालिसी में निवेश पक्ष के अंतर्गत निवेश जोखिम बीमाधारक द्वारा बहन किया जाता है।

(विश्व के विशालतम् परिवार में स्वागत है)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूँजी से शुरुआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल सामाजिक फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संरचना बन कर वित्तीय सेवाएँ इन्हरेटर्स चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, सूचना प्राधीनिकी, अस्पताल, कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स, निर्माण एवं सर्विसेज़ व ड्रेंगिंग आदि में कार्यरत है।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा बोर्ड में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा "सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" निजी बोर्ड में प्रभाग पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों विशेषतः ग्रामीण, शोषित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना-

देश में आर्थिक बाजार इस समय अत्यन्त उत्साहित रिति में है तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था में आगामी कुछ वर्षों में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है। हम चाहते हैं कि बीमार्पण इस उत्साहित रिति के अंग बने तथा पूँजी बाजार से वे प्रत्येक रूप से लाभान्वित हों।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना इक्वटी (शेयर मार्केट) से समर्पित होने के कारण अद्वितीय एवं व्यक्तिको सुरक्षा प्रदान करने वाली है। इस योजना को समर्त उद्देश्य ध्यान में रख कर बनाया गया है। जिससे बीमार्पण अधिक से अधिक लाभान्वित हो। यूनिट सम्पदाद्वित योजना भविष्य में वचत के मूल्य में वृद्धि करती है, ग्राहकों को निवेश योजना में कोष विकल्प परिवर्तन - ग्रामीण वृत्ति-नुसार तथा निवेश के भिन्न-भिन्न विद्युतों पर पौलिसी अवधि अन्तर्राल में व्यवस्था का अवसर प्रदान करती है।

योजना-विवरण-

प्रयोग के समय न्यूनतम आयु	10 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
पौलिसी अवधि	10 वर्ष अथवा 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	पालिसी कोष अनुसार
अधिकतम पूर्णावधि आयु	70 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
न्यूनतम प्रीमियम	₹12000
अधिकतम प्रीमियम	एक बार प्रीमियम भुगतान का चयन करने के बाद वह सम्पूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि तक अपरिवर्तनीय रहेगा।
पौलिसी अवधि	टॉप अप उपलब्ध नहीं है।
असीमित बीमाकन-नुसार	असीमित बीमाकन-नुसार
बीमाधारक - वार्षिकी प्रीमियम का 10 गुना	बीमाधारक - वार्षिकी प्रीमियम का 10 गुना

कोष विकल्प :

इस योजना में प्रत्येक कोष में सम्पत्ति आवंटन सीमा सहित निम्नलिखित कोष विकल्प उपलब्ध है।

कोष-निवेश विकल्प	अंश (इक्विटी)	ऋण (टैंडे)	रोकड (फैश)	जोखिम प्रवृत्ति
सुरक्षित कोष	नहीं	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	कम
संतुलित कोष	अधिकतम 40%	न्यूनतम 40%	अधिकतम 20%	मध्यम
रम्पट कोष	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 20%	अधिकतम 40%	अधिक
विकास कोष	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	अधिकतम 20%	अधिक
प्राइमा कोष	न्यूनतम 85%	अधिकतम 15%	अधिकतम 15%	अधिक

विकल्प चुनने का निम्न आधार है :

प्रारंभ प्रीमियम - 5 कोष में से कोई भी एक कोष का चयन

पर्यावरणी प्रीमियम - यूनिटों का आवंटन उस समय के विद्यमान कोष में होगा

किसी भी समय बीमाधारक के पास एक कोष रह सकता है।

निवेश उद्देश्य-

सुरक्षित कोष- इस कोष का उद्देश्य उच्च गुणात्मक निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर आय में वृद्धि करना है।

संतुलित कोष- इस कोष का उद्देश्य अवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापरी में सामंजस्य रखकर निवेश करना तथा लम्ही अवधि में अधिक जोखिम समायोजित वापरी करना है।

स्मार्ट कोष- इस कोष का उद्देश्य सुअवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापरी में संतुलन बनाकर निवेश करना तथा लम्ही अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित वापरी करना है।

विकास कोष- इस कोष का प्राथमिक निवेश उद्देश्य शेयर एवं शेयर सम्पत्तियों में शोध-आधार पर निवेश कर लम्ही अवधि की वृद्धि प्राप्त करना।

प्राइमा कोष- मौलिक रूप से सुदृढ़ ब्लू चिप तथा उच्च कैप कंपनियों में कुशलपूर्वक विधि इक्वटी पक्ष में

निवेश कर लम्ही अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित प्राप्त करना है। इसके साथ-साथ पूँजी बाजार के अचानक उतार चढ़ाव को ध्यान में रख कर पूँजी बाजार में अल्प अवधि में निवेश करना है।

विभिन्न कोष में निवेश के लिये प्रयोग आने वाले दरतावेज़:-

इक्विटी- भारतीय शेयर बाजार में शेयर तथा इक्विटी संबंधित दरतावेज़ों में उन कंपनियों में निवेश जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा जिन कंपनियों में निवेश करना है उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण तथा भली-नाति शोध एवं विशेषज्ञ करिया जायेगा।

ऋण- ऋण दरतावेज़ों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण, ऑयल बाण्ड, पी.एस.पू. (सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण) बाण्ड तथा कारोपेरेट बाण्ड सम्पर्कित हैं। इसके अतिरिक्त जमा का प्रमाण पत्र, व्यापारिक प्रपत्र तथा अपरिवर्तन ऋण पत्र (डिवर्चर) जो अधिक गुणात्मक दर पर हो तथा निवेश दरसावेज़ की अवधि आवश्यकतानुसार तय की जा सकती है।

कैश (रोकड)- इरडा के निवेश नियमों में जो पूँजी बाजार के दरतावेज़ प्रपत्र दरसाये गये हैं उन्हीं में कैश (रोकड़) अवधय विशेषज्ञ करिया जायेगा।

लाभाद्यक उद्देश्य के लिये निवेश का रथाई मापदण्ड (वैन्चमार्क)

● CRISIL, ST BOND INDEX-Debt.

● S&PCNX NIFTY-Equity

विकल्प एवं परिवर्तन :- बीमाधारक से अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति सम्पर्कित है। इसके अतिरिक्त जमा का प्रमाण पत्र, व्यापारिक प्रपत्र तथा अपरिवर्तन ऋण पत्र (डिवर्चर) जो अधिक गुणात्मक दर पर हो तथा निवेश दरसावेज़ की अवधि आवश्यकतानुसार तय की जा सकती है।

पालिसी के अंतर्गत लाभ:-

● पूर्णावधि पर - पूर्णावधि तिथि तक यदि बीमार्पण होता है - कोष मूल्य

● मूल्य पर - यदि समस्त प्रीमियम भुगतान कर दिये गये हैं तथा पौलिसी चालू अवधारण में है।

बीमार्पण की मूल्य सूचना प्राप्त होने की तिथि पर मूल्य लाभ देय है। अधिकाम मूल्य लाभ (बीमाधारण से अधिक आहरण, जो मूल्य तिथि पूर्वी दर्शक करता है, घटाकर तथा मूल्य सूचना प्राप्त होने की तिथि पर जो कोम्पूटर की मूल्य सूचना प्राप्त होने की तिथि पर वृद्धि दर्शक करता है तो यह मान लिया जायेगा कि बीमाधारक ने अपने आपको पूर्ण रूप से बगैर जोखिम वहन विकल्प का चयन कर लिया है तथा पालिसी कोष उस दिन से पौलिसी के कोष मूल्य से पृथक् कृत पूलक, यदि कोई है, घटा कर "पृथक् कृत पौलिसी कोष" में पृथक् कृत तिथि का हस्तांतरित कर दी जायेगी तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि (वार्षिकी) दर से संग्रहित होती रहेगी। पृथक् कृत पौलिसी की यह संग्रहित रकम पालिसी के पौंचवे वर्ष के अंत में देय है।

● अभ्यर्पणमूल्य - पौलिसी की मूल्य से अधिकतम अवधि में अभ्यर्पित की जा सकती है लेकिन अभ्यर्पण मूल्य पौलसी की प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष पश्चात ही देय है।

नियमित प्रीमियम के अंतर्गत

यदि पौलसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के अंतर्गत अभ्यर्पित की जाती है तो अभ्यर्पण मूल्य ही कोष मूल्य है, जिस दिन पौलसी अभ्यर्पित करने के बाद विकल्प का चयन कर दिये गये हैं तथा पौलसी चालू अवधारण में है।

यदि पौलसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के पश्च

को निरस्त कर वसूली की जायेगी।
वार्षिक जोखिम शुल्क प्रति हजार जोखिम रकम निम्न दर्शाया गया है।

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
10	0.46	31	1.41	52	7.73
11	0.54	32	1.44	53	8.54
12	0.64	33	1.50	54	9.41
13	0.78	34	1.57	55	10.33
14	0.86	35	1.66	56	11.32
15	0.92	36	1.78	57	12.35
16	0.99	37	1.91	58	13.23
17	1.05	38	2.07	59	14.34
18	1.10	39	2.24	60	15.69
19	1.15	40	2.46	61	17.27
20	1.20	41	2.70	62	19.09
21	1.24	42	2.90	63	21.13
22	1.28	43	3.12	64	23.42
23	1.31	44	3.40	65	25.94
24	1.34	45	3.73	66	27.27
25	1.36	46	4.13	67	30.74
26	1.38	47	4.58	68	34.59
27	1.39	48	5.09	69	38.85
28	1.40	49	5.66	70	43.55
29	1.40	50	6.29		
30	1.40	51	6.98		

विकल्प में परिवर्तन शुल्क - वीमाधारक को एक कोष निवेश विकल्प से दूसरा विकल्प अपनी इच्छानुसार चयन करने की पालिसी अधिक मुश्किल उपलब्ध है। प्रत्येक पालिसी वर्ष में 2 परिवर्तन निशुल्क प्रदान किये जाते हैं। अतिरिक्त कांपनीने परिवर्तन - रु 100/- प्रति परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है। परिवर्तन शुल्क यूनिटों के निरस्तीकरण द्वारा वसूल किया जायेगा।

वीमाधारक के अवयवक होने पर लाभ देय

- यदि वीमाधारक के वयक छोड़े जाएं तो भुगतान पालिसी के प्रस्तावक को देय है एवं उसकी अनुपस्थिति में जो प्रस्तावक के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें प्राप्त होगा।
- वीमाधारक के वयस्क अथवा 18 वर्ष पूर्ण होने पर पालिसी स्वयं उसमें निहित होगी।

अतिरिक्त लाभ- राइडर

दुर्घटना लाभ और सम्पूर्ण स्थायी अपेक्षा लाभ राइडर (यू.आई.एन. 127ए004वी01)

जो वीमित व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष (पूर्ण कर चुका है) एवं 55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) के मध्य आयु का है, उसे पालिसी प्राप्ति तिथि/पालिसी वर्षांगत से राइडर उपलब्ध है। दुर्घटना लाभ राइडर के अन्तर्गत भुगतान वीमा धन रु. 50,000/- - उपलब्ध है और अधिकतम वीमा धन या तो मूल वीमा धन अथवा रु. 20,00,000/- (जिसमें कंपनी से क्रेड की गयी सभी पिछली पालिसीय सम्पत्ति रखेंगी), जो दोनों में घनताशि कम होगी, उपलब्ध होगा। यह लाभ वीमित व्यक्ति के 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) अयु प्राप्त करने अथवा मूल पालिसी की पूर्णाधिक, जो पहले घटाई हो, तभी तक उपलब्ध है।

राइडर एकल प्रीमियम भुगतान विधि में उपलब्ध नहीं है।

पुनर्वालन नियम - जो मूल पालिसी में लागू हैं वही इस राइडर में लागू होंगे।

राइडर के लिए रु. 0.85/- प्रति हजार वीमाधारक प्रीमियम देय है।

यदि वीमाधारक की आयु पालिसी वर्षांगत से पूर्व, जिसमें वीमित व्यक्ति 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) पूर्ण कर रहा है एवं पालिसी चारू हालत में है- उसकी दुर्घटना में शारीरिक चोट, जो प्रत्यक्ष एवं पूर्ण रूप से वाया, तेज धारदार एवं दृढ़तोन्त्र साधन (शर्क) से लगने के कारण, मृत्यु दुर्घटना विधि से 180 दिनों में हुई है एवं दुर्घटना मृत्यु के वर्तन्त्र एवं प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र चोट है तो दुर्घटना राइडर के तुल्य एक अतिरिक्त धननाशि, जिसकी अधिकतम लीमा 20 लाख है, का भुगतान देय है। यदि वीमाधारक स्थायी एवं पूर्ण रूप से अपेक्षा हो जाता है तो राइडर वीमित धन का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्ष तक एवं शेष राइडर का 50 प्रतिशत 5 वर्ष के अंत में देय है। ज्ञायी अपेक्षा दावा निर्तात्मक एवं भुगतान होने पर राइडर प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है तो राइडर वीमित धन का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्ष तक एवं शेष राइडर का 50 प्रतिशत 5 वर्ष के अंत में देय है। ज्ञायी अपेक्षा दावा निर्तात्मक एवं भुगतान होने पर राइडर प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है तो राइडर को एक ऐप्लीकेशन करने से असमर्ता अथवा

अ) अपने दोनों हाथ कलाई अथवा इसरों ऊपर प्रयोग करने में असमर्ता अथवा

ब) दोनों पैर एक अथवा इसरों ऊपर प्रयोग करने में असमर्ता अथवा

स) दोनों लगाई कलाई एवं एक पैर एक अथवा इसरों ऊपर प्रयोग करने में असमर्ता अथवा

द) दोनों और दोनों की सम्पूर्ण, स्थायी एवं असाध्य दृष्टि की क्षमता।

अपवाद: कंपनी उपरोक्त (अ) (ब) (स) (द) में संदर्भित अतिरिक्त धननाशि का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार नहीं होगी, यदि वीमित व्यक्ति की अपेक्षा अथवा मृत्यु-

1) जान-दूङ्कर अपने को चोट पहुँचाने, आत्म-हत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण, मादक द्रव्य पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तु के सेवन करने से हो, अथवा

2) ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो, जबकि वीमित व्यक्ति उड़ड़न अथवा वैज्ञानिकी में किसी भी पद पर कार्यरत हो, न कि, जब कि वह किसाया देकर ऐसे यांत्रियों को ले जाने के लिये, सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अधिकृत स्थापित हाइड्रन्ड अड्डों के बीच उड़ान भरने वाले किसी हवाई जहाज में यात्रा करता हो तथा हवाई जहाज के उड़े उड़े उससे उत्तराते समय वीमित व्यक्ति की कोई दृश्यों (कार्यालय) न हो, अथवा,

3) वीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून भंग करने के फलस्वरूप हो, अथवा,

4) जोखिमी खेल-क्रीड़ा, आखेट, जूड़ों-कराटे, पर्वतारोहण, जैट-रक्काइंग, पॉट-होलिंग, घुड़-दौड़, गोताखोरी,

नाब-दौड़, लंबी छलांग, बाकिसंग, केविंग अथवा किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ के फलस्वरूप चोट लगने के कारण हो, अथवा

5) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), आक्रमण अथवा

6) अन्य अन्तर्दंभर्त शर्त (नियम)

आयकर लाभ

- पालिसी में भुगतान की गई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अन्तर्गत आयकर मुक्त है।
- पालिसी में पूर्णाधिक अथवा मूल दावा प्राप्ति क्रमसः वीमाधारक अथवा उसके आश्रितों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-10 (10वीं) के अन्तर्गत आयकर मुक्त है। यदि किसी भी पालिसी वर्ष में प्रीमियम एवं टॉप-अप की धनराशि वीमाधारक की राशि 20% से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में पालिसी में धारा-10(10वीं) का प्राप्त होगा।
- भविष्य में यह लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होगी।

लाभ-उदाहरण-

नियमित प्रीमियम भुगतान विधि में आयु 35 वर्ष अवधि 15 वर्ष, प्रीमियम 16000 वार्षिक तथा वीमाधारन रु. 16,000 लाभ निन्मवत है:-

सकल व्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक आधार पर												सकल व्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर											
पॉलिसी वर्ष	वीमियम	शुल्क	नियम	प्रबंध	शुल्क	व्याज	शुल्क	व्याज	प्रबंध	शुल्क	व्याज	शुल्क	नियम	प्रबंध	शुल्क	व्याज	शुल्क	व्याज	प्रबंध	शुल्क	व्याज		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)													